



## BSF का 60वाँ स्थापना दविस

स्रोत: पी.आई.बी

### चर्चा में क्यों?

1 दसिंबर, 2024 को, प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को उनके 60वें स्थापना दविस पर शुभकामनाएँ दी और भारत की सीमाओं की सुरक्षा में बल के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

### BSF क्या है?

- **परचिय:** BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत-पाकसि्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिये की गई थी।
  - BSF में एक एयर वगि, मरीन वगि, एक तोपखाना रेजिमेंट और कमांडो इकाइयाँ हैं।
  - यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- **तैनाती:** लगभग **2.6 लाख कर्मियों** वाला BSF बल भारत-पाकसि्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा (LoC) पर भारतीय सेना के साथ और नक्सल वशिधी अभियान कषेत्रों में तैनात है।
- **वशिष ऑपरेशन:** BSF जलयानों के आधुनिक बेड़े का उपयोग करते हुए अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा जैसे कषेत्रों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिता है।
- इसके अतरिकित इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष वभिन्न वैश्विक स्थानों पर प्रशक्ति कार्मिकों को तैनात करके संयुक्त राष्ट्र शांति मिशिन में भूमिका नभिाई जाती है।
- **BSF का कषेत्राधिकार:** BSF द्वारा भारत की सीमाओं की सुरक्षा की जाती है और इसे वभिन्न कानूनों के तहत गरिफ्तारी, तलाशी एवं जब्ती का अधिकार प्राप्त है, जिसमें दंड प्रकरिया संहति (CrPC) 1973, पासपोर्ट अधनियम 1967, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधनियम 1920 तथा सवापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधनियम, 1985 शामिल हैं।

**नोट:** अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को किसी राज्य को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से बचाने के लिये अपनी सेना तैनात करने का अधिकार है, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ राज्य ने केंद्र से सहायता का अनुरोध नहीं किया है तथा वह केंद्रीय बलों को स्वीकार करने में रूचि नहीं दिखा रहा है।

# केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारत के सात सुरक्षा बल शामिल हैं।

## असम राइफल्स (AR)

- स्थापना: वर्ष 1835, मिलिशिया के रूप में जिसे 'कछार लेवी' के नाम से जाना जाता था।
- पूर्ववर्ती उद्देश्य: ब्रिटिश चाय बागानों की रक्षा करना।
- वर्तमान उद्देश्य:
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना।
  - भारत-चीन और भारत-म्यांमार सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- महत्वपूर्ण भूमिका:
  - भारत-चीन युद्ध, 1962
  - श्रीलंका के लिये भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF) (1987) के रूप में।

आदिवासी इलाकों से लंबे जुड़ाव के कारण असम राइफल्स को 'उत्तर पूर्व का मित्र' भी कहा जाता है।

## सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- स्थापना: वर्ष 1965
- उद्देश्य:
  - पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ भूमि सीमाओं को सुरक्षित करना।
  - साथ ही कश्मीर घाटी में घुसपैठ की समस्याओं को रोकना।
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (NER) में उग्रवाद का मुकाबला करना।
  - ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान चलाना।
- विंग: एयर विंग, समुद्री विंग, आर्टिलरी रेजीमेंट और कमाण्डो यूनिट्स।

सीमा सुरक्षा बल (BSF) भारत का पहला लाइन ऑफ़ डिफेंस और विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है।

## केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF)

- स्वतंत्रता-पूर्व स्थापना: वर्ष 1939 (क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस)।
- स्वतंत्रता के पश्चात्: वर्ष 1949 - CRPF अधिनियम के तहत, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल के रूप में नामित किया गया।
- उद्देश्य: भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, काउंटर मिलिटेंसी/उग्रवाद संचालन, आदि।

CRPF आंतरिक सुरक्षा के लिये प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है।

## भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- स्थापना: वर्ष 1962।
- उद्देश्य:
  - काराकोरम दर्रे (लद्दाख) से जचेप ला (अरुणाचल प्रदेश) तक सीमा पर तैनात (भारत-चीन सीमा का 3488 कि.मी. कवर करती है)।
  - भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में 9000 फीट से 18700 फीट की ऊँचाई पर स्थित सीमा चौकियों की निगरानी।

ITBP एक विशेष पर्वतीय सैन्य बल है, जिसे प्राकृतिक आपदाओं का प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता कहा जाता है।

## राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- स्थापना: वर्ष 1984 (1986 में अस्तित्व में आया), ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात्।
- उद्देश्य: आतंकवाद-रोधी इकाई/संघीय आकस्मिक बल।
- टास्क ओरिएंटेड फोर्स- दो पूरक शाखाएँ:
  - स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG)।
  - स्पेशल रेंजर ग्रुप (SRG)।

## सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- स्थापना: वर्ष 1963
- उद्देश्य:
  - भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं की रक्षा करना।
  - सीमा सुरक्षा बढ़ाना, सीमा पार अपराधों पर अंकुश लगाना, अनधिकृत प्रवेश/निकास को रोकना, तस्करी रोकना, आदि।

## केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- स्थापना: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत।
- उद्देश्य: महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

CISF एक विशेष फायर विंग वाली एकमात्र CAPF यूनिट है।

